

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमतं.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
स. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 अगस्त 2010—भाद्र 4, शक 1932

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्र. एफ. 14-17-2005-बयालीस-(एक).—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी तथा फार्मेसी में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग/फार्मेसी डिप्लोमाधारकों / विज्ञान स्नातकों (गणित विषय सहित) के प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश प्रवेश नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में, उपनियम (2) में,—

- (एक) खण्ड (ग) तथा (घ) में, अंक और शब्द " 60 प्रतिशत", जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, अंक और शब्द "50 प्रतिशत" स्थापित किए जाएं;
- (दो) खण्ड (ङ) में, अंक और शब्द "50 प्रतिशत", के स्थान पर, अंक और शब्द "40 प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्र. 14-17-2005-बयालीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी तथा फार्मेसी में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल इंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग/फार्मेसी

डिप्लोमाधारकों/विज्ञान विषय स्नातकों (गणित विषय सहित) के प्रवेश नियम, 2007 के नियम, 4 के उपनियम (2) के संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th August 2010

No. F 14-17-2005-XLII-(1).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Niji Vyavasayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Admission Rules for admission of Engineering/Pharmacy Diploma holders/Science Graduates (with Mathematics) through lateral entry in second year (third semester) of under graduate courses in Engineering/Technology and Pharmacy Rules, 2007, namely :—

#### AMENDMENTS

In the said rules, in rule 4, in sub-rule (2),—

- (i) in clauses (c) and (d), for the figure and word “60%”, wherever they occur, the figure and word “50%” shall be substituted;
- (ii) in clauses (e), for the figure and word “50%”, the figure and word “40%” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SHAMIM UDDIN, Addl.Secy.